

संघ सरकार के लेखों पर सीएजी प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

वर्ष 2024-25 के लिए संघ सरकार के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2026 की प्रतिवेदन संख्या 6 आज संसद में प्रस्तुत की गई। प्रतिवेदन की महत्वपूर्ण विशेषताएं नीचे दी गई हैं।

संघ के वित्त का अवलोकन

अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संदर्भ में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। वर्ष के दौरान, स्थिर मूल्यों पर जीडीपी (वास्तविक जीडीपी) में 7.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी (नॉमिनल जीडीपी) में 9.74 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां विगत वर्ष की तुलना में 10.82 प्रतिशत बढ़ीं। यह वृद्धि गैर-कर राजस्व में 21.38 प्रतिशत की वृद्धि तथा कर राजस्व में 7.43 प्रतिशत की वृद्धि से प्रेरित हुई। सकल कर राजस्व (जीटीआर) वित्तीय वर्ष 2020-21 से लगातार बढ़ती प्रवृत्ति में रहा है, जिसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीटीआर में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा बढ़कर 57.15 प्रतिशत हो गया तथा जीडीपी में इसका योगदान विगत वर्ष के 6.63 प्रतिशत की तुलना में 6.82 प्रतिशत रहा।

प्रत्यक्ष करों में, आयकर से प्राप्त राजस्व विगत वर्ष की तुलना में 17.02 प्रतिशत बढ़ा तथा इसका जीटीआर और जीडीपी में हिस्सा बढ़कर क्रमशः 31.16 प्रतिशत और 3.72 प्रतिशत हो गया। निगम कर में 8.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई; तथापि, वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में, इसका जीटीआर में हिस्सा 26.29 प्रतिशत से घटकर 25.99 प्रतिशत तथा जीडीपी में हिस्सा 3.14 प्रतिशत से घटकर 3.10 प्रतिशत हो गया। जीएसटी संग्रह, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के 3.32 प्रतिशत से थोड़ा घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3.25 प्रतिशत रह गया।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उपकर और अधिभार से ₹5,29,357 करोड़ की वसूली हुई, जो विगत वर्ष की तुलना में 8.40 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है तथा यह सकल कर राजस्व का 13.94 प्रतिशत था। तथापि, पिछले पांच वर्षों में जीटीआर में इसका हिस्सा घटता रहा है, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के 20.23 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13.94 प्रतिशत रह गया।

गैर-कर राजस्व में वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 21.38 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप, सकल राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान 17.83 प्रतिशत से बढ़कर 19.39 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः वर्ष के दौरान लाभांश और लाभ में 80.49 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि के कारण हुई, जिसमें प्रमुख योगदान भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त अधिशेष लाभ का रहा।

सरकारी व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹39,07,647 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹50,85,089 करोड़ हो गया। तथापि, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में यह इसी अवधि के दौरान 19.68 प्रतिशत से घटकर 15.99 प्रतिशत हो गया। पूंजीगत व्यय, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2.78 प्रतिशत से थोड़ा घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2.70 प्रतिशत रह गया। ऋण की अदायगी भारत की संचित निधि से सबसे बड़ा आहरण रहा, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संवितरण का 62.57 प्रतिशत था।

राजस्व व्यय के स्थिर घटक, अर्थात् वेतन, पेंशन तथा ब्याज भुगतान, कुल राजस्व व्यय के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 44.18 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 46.07 प्रतिशत हो गए। इनमें से, ब्याज भुगतान का हिस्सा सबसे अधिक है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व व्यय का 29.20 प्रतिशत है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) ₹8,58,256 करोड़ रहा, जो विगत वर्ष की तुलना में 6.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, परिवहन तथा रक्षा सेवाएं पूंजीगत व्यय के प्रमुख प्रेरक रहे हैं।

संघ सरकार की कुल देनदारियां वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बढ़ीं, जिसका मुख्य कारण लोक ऋण में वृद्धि रहा। आंतरिक ऋण तथा बाह्य ऋण वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में क्रमशः 8.35 प्रतिशत तथा 9.83 प्रतिशत बढ़े। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में, आंतरिक ऋण ₹1,59,25,949 करोड़ रहा और इसका प्रमुख घटक बाजार ऋण, कुल आंतरिक ऋण का 69.96 प्रतिशत रहा।

राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा, दोनों में विगत वर्ष की तुलना में कमी आई, जो विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन को दर्शाता है। राजस्व घाटा वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.78 प्रतिशत रहा। यह वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 26.24 प्रतिशत कम हुआ, जो राजस्व व्यय पर बेहतर नियंत्रण तथा राजस्व प्राप्ति में स्थिर वृद्धि को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4.62 प्रतिशत रहा। यह वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 8.27 प्रतिशत कम हुआ।

लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियाँ

केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस) के लेखांकन में अनियमितताएं पाई गईं। नमूना जांच में यह देखा गया कि सीजीईजीआईएस भुगतानों का लेखांकन निर्धारित उप-शीर्ष स्तर के स्थान पर लघु शीर्ष स्तर तक गलत रूप से किया गया, जिससे बीमा निधि/बचत निधि के अंत शेष की गणना तथा परिणामस्वरूप सीजीईजीआईएस शेष पर ब्याज की गणना प्रभावित होती है। पीएओ-आईडीए (वेतन एवं लेखा कार्यालय – आंतरिक ऋण एवं लेखा) द्वारा संधारित सीजीईजीआईएस आंकड़ों और संघ सरकार के वित्त लेखों (यूजीएफए) में दर्शाए गए आंकड़ों के बीच भिन्नता पाई गई। इसके अतिरिक्त, बचत निधि/बीमा निधि भुगतानों के गलत वर्गीकरण तथा रेल मंत्रालय से संबंधित प्राप्ति आंकड़ों के दोहरे लेखांकन के उदाहरण भी देखे गए, जिससे लेखों की सटीकता प्रभावित हुई।

(पैरा 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3 और 3.1.1.4)

प्रतिपूरक वनरोपण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क राज्य कैम्पा प्राधिकरणों द्वारा एकत्र किया जाना था तथा इसे 90:10 के अनुपात में राज्य और केंद्र प्राधिकरणों के बीच संबंधित आरक्षित निधियों में वितरित किया जाना था। तथापि, एकत्रित लेवी को आगे राष्ट्रीय/राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि में वितरण हेतु भारत के लोक लेखा में अंतरित कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक ₹10,380.36 करोड़ की राशि संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वितरित किए जाने हेतु लंबित थी। इसके अतिरिक्त, लोक लेखा में प्रस्तुत शेष राशि राष्ट्रीय कैम्पा के अभिलेखों में प्रस्तुत समतुल्य आंकड़ों की तुलना में ₹599.53 करोड़ कम पाई गई, जिससे लोक लेखा में संभावित रूप से कम प्रस्तुतीकरण किये जाने का संकेत मिलता है। साथ ही, वित्तीय वर्ष के अंत तक ₹2,192.95 करोड़ की राशि भारत के लोक लेखा में अंतरण किए जाने की अपेक्षा बैंक खातों में ही बनी रही।

(पैरा 3.1.2)

यूजीएफए के विवरण 13 में उचंत शीर्षों के अंतर्गत केवल निवल शेष दर्शाए जाते हैं, जिससे निपटान हेतु लंबित वास्तविक शेष राशियां कम प्रस्तुत हुईं, यह कम प्रस्तुत राशि उचंत लेखा (सिविल) में 76.61 प्रतिशत तथा अन्य नामित बैंक (निजी क्षेत्र के बैंक) उचंत में 65.19 प्रतिशत पाई गई। इसी प्रकार, नकद शेष की नेटिंग किए जाने के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ मिलान के लिए लंबित नकद शेष भी कम प्रस्तुत हुआ, जबकि मिलान किए जाने हेतु कुल नकद शेष ₹3,880.67 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान [विभागीय चेक] के अंतर्गत प्रतिकूल शेष में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। विदेश मंत्रालय के अंतर्गत ₹44,714.77 करोड़ का प्रमुख प्रतिकूल शेष गलत अंतरण प्रविष्टि के कारण हुआ।

(पैरा 3.2.2.3, 3.4.3, 3.2.2.2)

प्राधिकार पत्र (एलओए) के बिना व्यय किए जाने के कारण ₹2.35 करोड़ के राजस्व व्यय को जर्नल एंट्री के माध्यम से वापिस उचंत शीर्ष में डालकर अनियमित रूप से प्रस्तुत किया गया और धन की कमी के कारण ₹3,042.32 करोड़ के पेंशन भुगतान ई-स्कॉल्स को अंतिम लेखा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज करने के बजाय उचंत शीर्ष में दर्ज किया गया, जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व व्यय कम प्रस्तुत हुआ तथा लेखों की सटीकता प्रभावित हुई।

(पैरा 3.2.2.5 और 3.2.2.6)

आरक्षित निधियां भारत के लोक लेखा का हिस्सा होती हैं और इन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है, सामान्यतः इनका वित्तपोषण उपकर या लेवी के माध्यम से किया जाता है, जिन्हें संग्रहित किए जाने पर भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है और तत्पश्चात संसद की स्वीकृति से निर्दिष्ट आरक्षित निधियों में अंतरित किया जाता। अभिलेखों की नमूना जांच से यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान चार निर्दिष्ट आरक्षित निधियों में ₹9,222 करोड़ का कम अंतरण हुआ। साथ ही, ₹844.93 करोड़ के संचयी निवल क्रेडिट शेष के साथ अप्रयुक्त आरक्षित निधियों और जमा राशियों का बने रहना यह इंगित करता है कि उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है और उनकी समीक्षा की जानी आवश्यक है।

(पैरा 3.3.1 और 3.3.2)

लेखांकन में ₹12,754.47 करोड़ की राशि से संबंधित गलत वर्गीकरण के उदाहरण भी थे। इनमें से, ₹4,011.91 करोड़ प्राप्तियों से संबंधित थे तथा शेष ₹8,742.56 करोड़ के गलत वर्गीकरण व्यय से संबंधित थे, जो मुख्यतः व्यय को गलत वस्तु शीर्ष (₹8,723.83 करोड़) के अंतर्गत लेखांकित किए जाने से जुड़े थे।

(पैरा 3.5)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों तथा अन्य संस्थाओं से वसूली हेतु ₹9,94,278.08 करोड़ के ऋण एवं अग्रिम शेष थे, जिनमें से वसूली के लिए बकाया (मूलधन एवं ब्याज) ₹91,534 करोड़ था। ऋण राशि की अदायगी के पश्चात ऋण शीर्ष के अंतर्गत ₹641.54 करोड़ की ऋणात्मक प्रविष्टि का समायोजन न किए जाने के कारण 'वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया ऋण एवं अग्रिम' के अंत शेष का उतना ही कम प्रस्तुतीकरण हुआ।

(पैरा 3.2.3 और 3.2.4)

विभिन्न निधि/जमा शीर्षों में प्रतिकूल शेष के 56 मामले देखे गए, जिनमें से 39 मामले पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। यूजीएफए 2024-25 के विवरण 10 एवं 11 के बीच 'अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश' के संबंध में ₹179.06 करोड़ का अंतर था। अभिलेखों की नमूना जांच से, सात संस्थाओं के संबंध में ₹842.82 करोड़ के लाभांश की कम प्राप्ति और तीन संस्थाओं से ₹322.13 करोड़ की गारंटी शुल्क की कम वसूली का पता चला।

(पैरा 3.2.1, 3.4.1.2, 3.4.1.7 और 3.4.2)

बजटीय प्रबंधन

संघ सरकार के विनियोग लेखे में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 102 अनुदान/विनियोग शामिल हैं। संसद ने ₹1,47,54,642.48 करोड़ के विनियोग को स्वीकृति दी, जिसके प्रति सरकार ने ₹1,42,63,339.67 करोड़ व्यय किए, जिससे कुल मिलाकर ₹4,91,302.81 करोड़ की बचत हुई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की संचित निधि से कुल प्रभारित प्रावधान (जिस पर संसद द्वारा वोटिंग आवश्यक नहीं होती) ₹1,00,47,777.09 करोड़ था, जिसके प्रति व्यय ₹99,78,400.13 करोड़ हुआ, जिससे ₹69,376.96 करोड़ की बचत हुई। कुल दत्तमत प्रावधान ₹47,06,865.39 करोड़ था तथा वास्तविक व्यय ₹42,84,939.54 करोड़ रहा, जिससे ₹4,21,925.85 करोड़ की बचत हुई।

(पैरा 4.1.1, 4.1.2)

11 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत निधियों के अपर्याप्त प्रावधान के कारण लघु/उप-शीर्षों में ₹25 करोड़ या उससे अधिक का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024 -25 के दौरान 19 अनुदानों/विनियोगों में ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की बचत भी पाई, जिनमें

से सात अनुदानों/ विनियोगों में पिछले तीन वित्तीय वर्षों से लगातार बचत हो रही थी। इसके अलावा, 74 अनुदानों/ विनियोगों के 97 खंडों में ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत हुई।

(पैरा 4.2.1.1, 4.2.2.1 & 4.2.2.2)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अधिक व्यय की आशंका में 16 अनुदानों के अंतर्गत 26 लघु/उप-शीर्षों के लिए प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक पाए गए, क्योंकि संबंधित लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत अंतिम व्यय मूल प्रावधानों से कम रहा। इसके अतिरिक्त, 10 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 18 मामलों में, जिनमें से प्रत्येक में ₹10 करोड़ से अधिक की राशि शामिल थी, किए गए पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण थे क्योंकि जिन लघु/उप-शीर्षों के लिए पुनर्विनियोग के माध्यम से राशि बढ़ाई गई थी, उनके अंतर्गत स्वीकृत प्रावधान पहले से ही पर्याप्त थे और पुनर्विनियोग की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी प्रकार, सात अनुदानों के अंतर्गत 10 लघु/उप-शीर्षों से भी अविवेकपूर्ण ढंग से पुनर्विनियोग किए गए, जिसके परिणामस्वरूप इन लघु/उप-शीर्षों में परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैरा 4.3, 4.4.1)